खान आयुक्त का न्यायालय, बिहार, पटना

संख्या–......518.........../एम0, पटना, दिनांक–25.1.18

सेवा में,

मेसर्स वेस्टलिंक ट्रेडिंग प्रा0लि0
मो0–कैलाशपुरी, पो0–बांदा,
थाना–बांदा, जिला–बांदा, उत्तर प्रदेश।

Miscellaneous Case No.– 03/2018

खनन पदाधिकारी, गया — अर्जीदार

बनाम

मेसर्स वेस्टलिंक ट्रेडिंग प्रा0लि0 — प्रतिपक्ष।

महाशय,

निदेशानुसार इस वाद में दिनांक 24.01.2018 के आदेश की प्रति संलग्न करते हुए सूचित किया जाता है कि सुनवाई की अगली तिथि 05.02.2018 को 5.00 बजे अपराह्न निर्धारित है।

अतः निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

न्यायालय खान आयुक्त के आदेश से,

सरकार के अवर सचिव

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with Date
1	2	3	4
		Miscellaneous Case No – 03/2018 **Dist. - Gaya** == **Mining Officer, Gaya** Vs. **M/s-Westlink Trading Pvt. Ltd.** ==	
	24.01.2018	-Perused the report of the Mining Officer, Gaya -Issue notice to the Settlee. - Put up on 05.02.2018 **Sd/-** **(K.K. Pathak)** **Mines Commissioner** Memo No.-...519......./M, Patna, Dated-...25.1.18....... Copy to :-Collector, Gaya/Assistant Director, Gaya/ M/s-Westlink Trading Pvt. Ltd.,Mo.-Kailashpuri, Post-Banda, P.S.-Banda, Dist.-Banda, U.P /I.T. Manager, Mines & Geology Dept. Patna for information and necessary action. Under Secretary to Govt.	

जिला खनन कार्यालय, गया

पत्रांक 199 / खनन, गया, दिनांक 23/01/18

प्रेषक,

सहायक निदेशक
खान एवं भूतत्व
गया।

सेवा में

खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- **गया जिलान्तर्गत पंचांग वर्ष (2015-19) के लिए वेस्टलिंक ट्रेडिंग प्रा0 लि0 के पक्ष में बंदोबस्त बालूघाटों के संचालन में वरती गई अनियमितताओं के संबंध में प्रतिवेदन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि गया जिलान्तर्गत पंचांग वर्ष 2015-19 के लिए वेस्टलिंक ट्रेडिंग प्रा0 लि0 के पक्ष में बंदोबस्त बालूघाटों के संचालन में मोफसिल थानान्तर्गत मौजा-भदेजा में स्थित स्वीकृत भदेजा बालूघाट (रकवा 9.0) का स्थल निरीक्षण की जाच करायी गई है, जिसमे निम्नांकित अनियमिता पायी गई है:-

1. बालूघाट क्षेत्र में सभी सीमास्तम्भ स्थापित एवं संधारित नहीं पाया गया है।
2. बालूघाट क्षेत्र के पास धर्मकांटा स्थापित एव संचालित नहीं है।
3. बालूघाट के आस-पास पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण नहीं पाया गया।
4. बालू निष्कासन/प्रेषण स्थल पर साईन बोर्ड लगा हुआ पाया गया परंतु स्थानीय प्रबंधक का नाम एवं पता तथा अन्य आवश्यक प्रविष्टियाँ नही पाया गया।

उक्त बालूघाटों के निरीक्षण के दौरान नई बालू नीति 2013, SEIAA बिहार के पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का उल्लंधन पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि बंदोबस्तधारी द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 21(A) का उल्लधंन कर खनन कार्य किया गया है, जिसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की करायी गई है(छाया प्रति संलग्न)।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

23/01/2018

सहायक निदेशक
खान एवं भूतत्व
गया

98

जिला खनन कार्यालय, गया

पत्रांक ...157.............../खनन, गया, दिनांक 18/01/18.........

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
खान एव भूतत्व,
गया।

सेवा में,

थानाध्यक्ष,
मोफसिल, गया।

विषयः– **मोफसिल थाना अंतर्गत मौजा–भदेजा बालूघाट में बालू बंदोबस्तधारी द्वारा पर्यावरण शर्तों का उल्लधंन के कारण प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आज दिनांक 18.01.18 को मोफसिल थानान्तर्गत मौजा–भदेजा में स्थिति स्वीकृत बालूघाट का सुश्री निधि भारती, खनिज विकास पदाधिकारी, गया, एवं श्री राज किशोर सिंह, प्रारुपक/प्रभारी खान निरीक्षक, गया के साथ अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के क्रम में बालूघाट बंदोबस्ती के निम्नलिखित पर्यावरणीय शर्तो का उल्लधंन पाया गयाः–

1. बालूघाट क्षेत्र में सीमास्तम्भ पाया गया परंतु स्थायी सीमास्तम्भ नही पाया गया।
2. बालूघाटा क्षेत्र के पास धर्मकांटा स्थापित है, परंतु कार्यरत नहीं पाया गया।
3. बालूघाट के आप–पास प्रर्याप्त संख्या मे वृक्षारोपण नहीं पाया गया।
4. बालू निष्कासन/प्रेषण स्थल पर साईन बोर्ड लगा हुआ पाया गया परंतु स्थानीय प्रबंधक का नाम एवं पता तथा अन्य आवश्यक प्रविष्ठियाँ नही पाया गया।
5. बालूघाट में कार्यरत मजदुरों के पास सुरक्षात्मक श्वसन यंत्र नही पाया गया।
6. बालूघाट क्षेत्र में पानी छिड़काव प्रर्याप्त मात्रा मे नही पाया गया।

उक्त बालूघाट के निरीक्षण के दौरान SEIAA पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो का उल्लंधन पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि बंदोबस्तधारी द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 21(A) का उल्लधंन कर खनन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त बंदोबस्तधारी कंपनी वेस्टलिंक ट्रेडिंग प्रा0लि0 के निदेशक श्री अभिषेक कुमार सिंह, पिता श्री देवेन्द्र मोहन सिंह, शिवम आपर्टमेंट, प्रथम तल, आनंदपुरी, पटना के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

गवाहः– सुश्री निधि भारती, 18/1/18
खनिज विकास पदाधिकारी
पिता–मनहरण प्रसाद,
मो0–कुशवाहा कॉलोनी, बक्सरीया टोला,
गुलबीघाट, पटना
मो0 9852903038

गवाहः– राज किशोर सिंह, 18/1/18
प्रारुपक/प्रभारी खान निरीक्षक,
पिता–स्व. रामसुंदर सिंह
ग्रा.+पो.–महेशपुर, था.–सन्हौला,
जिला–भागलपुर
9572849650

विश्वासभाजन
18/1/2018
सहायक निदेशक
खान एवं भूतत्व
गया
मनोज अम्बष्ट
पिता–अवधेश कुमार सिन्हा,
मो0–आनंदपुरी,
थाना–कृष्णापुरी, पटना,
मो0–9430832694

19.1.18

19.1.18